

26.11.24

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता प्रार्थी व प्रार्थी के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज दिखाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी व प्रार्थी अपने प्रार्थना-पत्र को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिटिगा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 'अदम दालि' व 'अदम पैरवी' में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो व नम्बर से कम हो।

26/11/24
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.), वाड़मेर

